(118)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2161–पीबीआर/2005 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–12–2005 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर, प्रकरण कमांक 108/निगरानी/2004–05.

.....

रामसेवक यादव आत्मज गयाप्रसाद यादव,
निवासी 106 आदित्य नगर, सी.पी. कॉलोनी,
मुरार जिला ग्वालियर

..... आवेदक

विरूद्ध

इलाहाबाद बैंक प्रधान कार्यालय 2 नेताजी मार्ग,
कोलकता, शाखा कार्यालय सिटी सेंटर ग्वालियर
द्वारा वरिष्ठ प्रबंधक एवं पावर ऑफ एटार्नी होल्कर अनान्द श्रीवास्तव

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 24/1/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–12–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को अनावेदक बैंक द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत नगद ऋण रुपये 87,500/– और टर्म लोन रुपये 80,000/– दिनांक 17–5–2000 को स्वीकृत किया गया था । आवेदक द्वारा ऋण की नियमित अदायगी बैंक को नहीं की गई जिससे आवेदक के विरूद्ध ब्याज बढ़ता गया और बैंक के द्वारा समय समय पर दिये गये सूचना पत्रों आदि के बावजूद ऋण की अदायगी नहीं किये जाने पर म.प्र.लोकधन शोध्य राशियों की वसूली हेतु अधिनियम के तहत रुपये 2,20,454/– की वसूली के लिये आर.आर.सी. जारी की जाकर वसूली के लिये राजस्व अधिकारियों को लिखा गया, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार ग्वालियर द्वारा आवेदक के विरूद्ध वसूली का आदेश दिनांक 18–3–2005 को जारी किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष आवेदक द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई और अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 29–3–2005 को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि अनावेदक के द्वारा जमा कराई गई राशि को कम करते हुये शेष राशि दिनांक 31–3–2005 के पूर्व जमा कराई जाये और बची हुई राशि 4–5 माह के दौर आवेदक से जमा कराई जावे । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अनावेदक बैंक द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 19–12–2005 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में तथ्यों एवं आवेदक द्वारा किये गये कथनों के आधार पर न्यायोचित एवं विधिसम्मत् आदेश दिया था जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त ने अपने विचाराधिकार का उचित प्रयोग नहीं किया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक शिक्षित बेरोजगार होने के कारण प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद बैंक से ऋण प्राप्त किया था, तत्समय से ही आवेदक ऋण अदायगी की किश्तें जमा कर रहा है । यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त का

यह निष्कर्ष कि आवेदक ऋण चुकाने में अभिरूचि नहीं दिखा रहा है तथ्यों के विपरीत है । आवेदक ने दिनांक 21–12–2004 तथा उसके पश्चात् विभिन्न दिनांकों को अनावेदक बैंक के समक्ष आवेदन दिया था कि वह रूपये 50,000/– तत्काल देने को तैयार है तथा शेष राशि के लिये वह नियत तिथि पर देय बैंक चेक देने के लिये तत्पर है । आवेदक के इस अनुरोध पर भी बैंक द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को जिस योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किया गया था उसका उद्देश्य ऋणगृहीता का सहयोग करना है न कि उसे कठिनाई में डालना है । आवेदक उसके द्वारा लिये गये ऋण को देने के लिये तैयार है । अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तर्क के दौरान आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा कहा गया कि वे ऋण की राशि जमा करने हेतु तैयार हैं । अतः प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे आवेदक से ऋण की राशि जमा कराये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर